राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

अ धि सू च ना

क्रमांक : .10../स्था.प/2015 दिनांक : 23-09-2015

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अनुरोध पर निम्नलिखित परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, जिन्हे कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक F.3/2(3) Pers/A-I/2014 दिनांक 02.06.2015 द्वारा उनके नाम के आगे अंकित जिले के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, ऐसे मामलों के संबंध में जो उनके न्यायिक प्रशिक्षण की अवधि में संबंधित जिले के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अन्तरित किये जायेंगे, संहिता के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग की प्रदत्त सभी शक्तियां उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से एक वर्ष या उनकी परिवीक्षाधीन अवधि, जो भी पूर्व हो, तक प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकार क्षेत्र
1.	Shri Bhanwar Lal	Jodhpur
2.	Ms. Bharti Dixit	Jaipur
3.	Ms. Chinmayee Gopal	Ajmer
4.	Shri Gaurav Agrawal	Jhalawar
5.	Shri Qummer Ul Zaman Choudhary	Bharatpur
6.	Ms. Shubham Chaudhary	Bikaner
7.	Shri Suresh Kumar Ola	Udaipur

आज्ञा से,

23/9/15

(रविन्द्र कुमार जोशी)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक : Gen./XV/38/75/5565 दिनांक : 23-09-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक F.3/2(3)Pers/A-I/2014 दिनांक 28.08.2015 के सन्दर्भ में ।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर/जोधपुर जिला/ज़यपुर महानगर/जयपुर जिला/अजमेर/झालावाड़/भरतपुर/बीकानेर/उदयपुर ।
4. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर/जयपुर महानगर/सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/जयपुर जिला/अजमेर/झालावाड़/भरतपुर/बीकानेर/उदयपुर ।
5. निदेशक, राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।
6. जिलाधीश, जोधपुर/जयपुर/अजमेर/झालावाड़/भरतपुर/बीकानेर/उदयपुर ।
7. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।

23/9/15

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

(2) ADJ General Section RHC. Jodhpur